रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1675] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2011/भाद्र 7, 1933
No. 1675] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2011/BHADRA 7, 1933

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2011

का. आ. 2012 (अ).—समय-समय पर यथासंशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन चीनी एक आवश्यक वस्तु है (इसके पश्चात् आवश्यक वस्तु अधिनियम कहा गया है);

और केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 जारी किया है;

और, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 का खंड 5 केन्द्रीय सरकार को किसी भी प्रकार की चीनी के उत्पादन, स्टॉक के अनुरक्षण, भंडारण, बिक्री, ग्रेडिंग, पैकिंग चिह्नांकन, तोल, निपटान, प्रेषण और वितरण के संबंध में चीनी के किसी उत्पादक को अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है;

और, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 7 के उप-खंड(क) के अधीन केन्द्रीय सरकार को भारतीय चीनी मानक के ग्रेडों के अनुसरण में चीनी की गुणवत्ता निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। सभी अथवा किसी प्रकार की भी चीनी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (च) या उक्त आदेश के खंड 5 के अधीन चीनी के उत्पादक को जारी निर्देशों के अनुसरण में परिदान के समय इन ग्रेडों के अनुरूप होनी चाहिए;

और, केन्द्रीय सरकार ने चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी (पैकिंग और चिह्नांकन) आदेश, 1970 जारी किया है;

और चीनी (पैकिंग और चिह्नांकन) आदेश, 1970 के खंड 4 के उप-खंड (1) में यह उपबंध है कि जिस बोरी में चीनी पैक की जाती है उस पर प्रत्येक उत्पादक उस समय लागू भारतीय चीनी मानकों के अनुसरण में इसकी गुणवत्ता को चिह्नित करेगा यह भी सुनिश्चित करेगा कि चीनी की बोरी में निहित चीनी की गुणवत्ता उस पर चिह्नित चीनी की गुणवत्ता से मेल खाती हो जब तक कि यह उसके द्वारा बेची और परिदत्त नहीं की जाती;

और, केन्द्रीय सरकार ने, चीनी उत्पादकों द्वारा चीनी के बोरों पर किसी सीजन में अनुसरण करने के लिए भारतीय चीनी मानक ग्रेडों का अनुमोदन करने के लिए एक स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएसएस) का गठन किया है जोकि विकास परिषद् (प्रक्रियात्मक) नियम, 1952 के नियम 4 और नियम 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और अधिनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 द्वारा गठित चीनी उद्योग विकास परिषद् की एक उप-समिति है;

और, भारतीय चीनी मानक के ग्रेड (वर्तमान में सात एल-30, एल-31, एम-30, एम-31, एस-30, एस-31 और एसएस-31) राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर में स्थापित चीनी मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए हैं;

और, चीनी मानकों संबंधी स्थायी सलाहकार समिति ने 14-9-2009 और 15-9-2010 को हुई अपनी बैठक में संप्रेषण किया कि कुछ चीनी उत्पादक चीनी की बोरियों पर ग्रेड के चिह्नांकन के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्था कानपुर से भारतीय चीनी मानक ग्रेडों की उपाप्ति या खरीद नहीं कर रहे हैं और विनिश्चय किया है कि उक्त प्रयोजन के लिए सभी चीनी उत्पादकों को इसकी उपाप्ति या खरीद करनी चाहिए;

अत: अब केन्द्रीय सरकार चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 7 के उप-खंड (क) के साथ पठित खंड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि प्रत्येक चीनी उत्पादक इस संबंध में राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर द्वारा जारी परिपत्र की तारीख से साठ दिनों से अनधिक अवधि के भीतर प्रत्येक चीनी सीजन में बीएसएस, राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर से भारतीय चीनी मानक ग्रेडों की उपाप्ति या खरीद करेगा और तदनुसार चीनी की बोरियों पर ग्रेड चिह्नित करेगा ।

[फा. सं. डीसीएस/एस-10/2010]

राजन सहगल, मुख्य निदेशक (शर्करा)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 26th August, 2011

S.O. 2012(E).—Whereas, sugar is an essential commodity under the Essential Commodities Act, 1955, as amended from time to time hereinafter referred to as the EC Act;

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the EC Act, has issued the Sugar (Control) Order, 1966;

And whereas, clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966 confers powers on the Central Government to issue direction by general or special order, inter alia, to any producer of sugar regarding the production, maintenance of stock, storage, sale, grading, packing, marking, weighment, disposal, delivery and distribution of any kind of sugar;

And whereas, sub-clause (a) of clause 7 of the Sugar (Control) Order, 1966 empower the Central Government to prescribe the quality of sugar in terms of Indian Sugar Standard Grades to which all or any kind of sugar should conform at the time of delivery in pursuance of the directions issued to a producer of sugar under clause (f) of sub-section (2) of Section 3 of the EC Act, or clause 5 of the said order;

And whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966 has issued the Sugar (Packing and Marking) Order, 1970;

And whereas, sub-clause (1) of clause 4 of the Sugar (Packing and Marking) Order, 1970 provides that every producer shall at the time of packing mark on the bag in which the sugar is packed, its quality in terms of Indian Sugar Standards in force at that time and shall also ensure that quality of sugar contained in the sugar bag corresponds to the quality of sugar marked thereon until it is sold and delivered by him;

And whereas, the Central Government has constituted a Standing Advisory Committee on Sugar Standards (SACSS), which is a sub-committee of Development Council of Sugar Industry established in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, read with rules 3, 4 and 5 of the Development Council's (Procedural) Rules, 1952 to approve the Indian Sugar Standard Grades to be followed by the producers of sugar in a season for marking the same on sugar bags;

And whereas, the Indian Sugar Standard Grades (seven at present L-30, L-31; M-30, M-31; S-30, S-31 and SS-31) are prepared by the Bureau of Sugar Standards (BSS) set up in the National Sugar Institute, Kanpur;

And whereas, the SACSS in its meeting held on 14-09-2009 and 15-09-2010 had observed that some producers of sugar are not procuring or purchasing the Indian Sugar Standard Grades from the National Sugar Institute, Kanpur for marking grade on sugar bags and has decided that all producers of sugar should procure or purchase the same for the said purpose;

Now, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by clause 5 read with sub-clause (a) of clause 7 of the Sugar (Control) Order, 1966, hereby directs that every producer of sugar shall procure or purchase the Indian Sugar Standard Grades from the BSS, National Sugar Institute, Kanpur in every sugar season within a period not exceeding sixty days from the date of the issue of the circular by National Sugar Institute, Kanpur in this regard and mark the grade on sugar bags accordingly.

[F. No. DCS/S-10/2010]

RAJAN SEHGAL, Chief Director (Sugar)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.